



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 39,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-29/18 धारा-452,376,504,506 भा०द०सं० व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बृजकिशोर उर्फ बिरजू माली पुत्र लल्लू माली निवासी बांकी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व ₹39,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एस.एस.पी. विजय सिंह



विवेचक-
सीओ रजनीश
कुमार उपाध्याय



पैरोकार
थाना- सुमेरपुर
का० शुभम यादव